भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2366

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पश्चिम बंगाल में आयुर्वेद को बढ़ावा

2366. श्री सौमित्र खान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में आयुर्वेद और आयुष की अन्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे/किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में कार्यशील योग, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी से संबंधित संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में ऐसे और संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका जिला-वार और पद्धति-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आयुष अस्पतालों का खोला जाना लंबे समय से लंबित है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में आयुर्वेद और आयुष की अन्य पद्धतियों को बढ़ावा देने में सक्षम रही है। आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के प्रचार के अधिदेश को पूरा करने के लिए, आयुष मंत्रालय आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना लागू करता है। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति के बारे में नागरिकों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व, आयुष पद्धति के महत्वपूर्ण दिनों का आयोजन, स्वास्थ्य फेयर/मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और मल्टीमीडिया अभियान आदि आयोजित करता है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और आयुष की अन्य पद्धतियों के समग्र विकास और प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ, एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शर्त के आधार पर, निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

(i) आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन, जिसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है;

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन;

(iii) वर्तमान एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन;

(iv) वर्तमान सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन, जिसमें किराए के या जर्जर आवासों में संचालित किए जा रहे वर्तमान आयुष औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण और नए आयुष औषधालयों की स्थापना के लिए भवनों का निर्माण शामिल है;

(v) 10-,30- और 50-बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना;

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति;

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(viii) राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है; और

(ix) आयुष स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों का बुनियादी ढांचागत विकास, जिसमें अतिरिक्त पीजी, फार्मेसी और पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।

(ख) से (च): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी से संबंधित संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों और आयुष अस्पतालों को खोलना संबंधित राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, अलीपुरद्वार और मिदनापुर जिलों में 50-बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की 02 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

*****